

लेखा विभाग के अधिकारियों की कर्तव्य सूची

कार्पोरेट कार्यालय

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

लेखा विभाग के प्रमुख

- वित्त – पूंजी कार्यों एवं राजस्व प्रस्तावों के साथ कार्पोरेट कार्यालय के वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण।
- यातायात लेखा – प्रबंधन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार यात्री एवं माल-यातायात अर्जन की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। प्रारंभिक माल भाड़ा एवं कोचिंग अर्जन का संविभाजन सुनिश्चित करना तथा मार्गान्तरित-यातायात के कारण अतिरिक्त मालभाड़े को रिलीज करना।
- कार्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों की सभी देय राशि का भुगतान एवं आंतरिक जांच।
- मासिक लाभ एवं हानि लेखा को पूर्ण कर प्रस्तुत करना, सीमित समीक्षा, वार्षिक लेखा, भारतीय रेल के वित्तीय समायोजन (आइ.आर.एफ.ए.) डेबिट आदि का भुगतान, विभिन्न विवरणी प्रस्तुत करने सहित स्रोत पर आयकर कटौती करना।
- निधि नियोजन, निधि जुटाना तथा उसे अभिनियोजित करना, वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क एवं व्यवहार करना, निगम की वित्तीय पुनर्संरचना योजना में सहभागिता करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समन्वय करना, स्टॉक सत्यापन, लेखा परीक्षा-पैराओं तथा निरीक्षण रिपोर्टों से संबंधित कार्य करना।
- लेखा संवर्ग की स्थापना के सर्व कार्य प्रभारी अधिकारी होने के साथ-साथ वरिष्ठ क्षेत्रीय वित्त सलाहकार/रत्नागिरी तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय वित्त सलाहकार/कारवार कार्यालय की गतिविधियों की देख-रेख करना।

महाप्रबंधक (वित्त)

- लेखा को अंतिम रूप देना तथा वार्षिक लेखा परीक्षा, सीमित समीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करना।
- रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा को पूरक लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना। अंतिम पर्चियों के उत्तर तथा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधक की अभ्युक्तियों को वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखना।
- आयकर लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक अनुसूचियों के साथ लेखा परीक्षित लेखा को प्रस्तुत करना तथा आयकर विवरणी भरना।
- आयकर निर्धारण संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक लेखा तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करना।
- आयकर परामर्शदाताओं के माध्यम से प्रस्तुत आयकर अपील कार्यवाही के संबंध में सभी संबंधित सूचना तथा प्रलेखों को प्रस्तुत करना।

उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

- वित्तीय परिणामों तथा लेखा परीक्षा के प्रकाशन सहित लेखा को संकलित कर उसे अंतिम रूप देना।
- नकदी प्रवाह तथा विभिन्न वित्तीय और लेखांकन विवरणों को प्रबंधन/रेलवे बोर्ड, निदेशक/पी.एस.यु., राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी निकाय, जो इसकी मांग करता है, उन्हें प्रस्तुत करना।
- आंतरिक तथा समझौता ज्ञापन के प्रयोजन के लिए राजस्व बजट को संकलित कर उसे अंतिम रूप देना।
- लेखा विभाग के विभिन्न मॉड्यूल के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय करना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (कर एवं स्थापना)

- आयकर कार्यवाही के मूल्यांकन के लिए आयकर विभाग को खातों और अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति।
- कर सलाहकारों के माध्यम से आयकर अपील कार्यवाही के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों की प्रस्तुति।
- संबंधित कर/सांविधिक लेवी अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना।
- कर अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र/अनुमति/छूट प्राप्त करना।
- संबंधित कर प्राधिकारियों को सही और समय पर आवश्यक सूचना/विवरण प्रस्तुत करना।
- जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- कांफ़रेंट कार्यालय, दिल्ली कार्यालय तथा जम्मू और कश्मीर परियोजना कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आहरण और वितरण करना।
- वेतन निर्धारण, स्थापन और सभी स्थापना दावों को पारित करना।
- आयकर, व्यावसायिक कर, भविष्य निधि तथा पेन्शन न्यास आदि सांविधिक भुगतान करना।
- आयकर, विदेश सेवा योगदान इत्यादी की गणना और बाहरी निकायों का भुगतान करना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त एवं यातायात)

- प्रारंभिक माल दुलाई और कोचिंग आय का क्षेत्रीय रेलों में सही विभाजन करना।
- क्षेत्रीय रेलों से माल भाड़े तथा कोचिंग अर्जन को ठीक-ठीक रूप में प्राप्त करना। मार्गांतरित माल-भाड़ा संचालन के कारण अतिरिक्त माल भाड़े के अंश को वसूल करना। क्षेत्रीय रेलों तथा रेलवे बोर्ड के साथ परस्पर संपर्क बनाए रखना।
- वित्तीय सहमति की अपेक्षा वाले प्रस्तावों से संबंधित कार्य करना, कमर्शियल ठेकों में वित्त सदस्य के रूप में कार्य करना।
- पूंजीगत बजट मदों सहित वित्तीय निहितार्थ वाले निगम के सभी प्रस्तावों पर वित्तीय सलाह देना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- शक्तियों की अनुसूची को बनाए रखने, अद्यतन करने और संशोधित करना।

उप महाप्रबंधक (निधि) (रिक्त) – वर्तमान में महा प्रबंधक (वित्त) द्वारा देखा जा रहा है

- निधि की योजना बनाना, जुटाना और परिनियोजन करना।
- बाजार से पैसा उधार लेना और डेरिवेटिव सहित कोषागार प्रबंधन।
- वित्तीय संस्थानों, बैंकों, मर्चेंट बैंकों, रेटिंग एजेंसियों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के साथ संपर्क और व्यवहार और बाँड धारकों के न्यासी।
- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ती लाभों को देखना, ग्रॅचुइटी, अवकाश नगदीकरण सहित भविष्य निधि अनुभाग से संबंधित निधियों का निवेश करना।
- उचित सत्यापन के बाद पेन्शन, भविष्य निधि, ग्रॅचुइटी, अवकाश नकदीकरण, बीमा आदि मामलों का निपटान।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए विभिन्न इकाइयों/शाखाओं के साथ समन्वय।
- सरकारी लेखा परीक्षकों के साथ समन्वय करना तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्टों को स्पष्ट करने तथा कार्य की प्रणाली में सुधार करने संबंधी सुझाव देने के लिए त्रि-पक्षीय बैठकों का आयोजन करना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

उप महा प्रबंधक (परियोजना)

- निम्नलिखित परियोजनाओं के लेखा और वित्त कार्यों को संभालना –
रोहा-वीर दोहरीकरण, एल्.सी. गेट परियोजना, आर्.एस्.सी.एफ्. परियोजना, आर्.वी.एन्., एल्., डिपोझिट कार्य, दोडाईचा कार्य, एम्.एस्.इ.झेड.एल्. आर्.ओ.बी., एम्.एस्.इ.झेड.एल्. फ्लाईओवर, राक्साऊल-काठमांडू डी.पी.आर्. परियोजना, आर्.आर्.एस्.के. संरक्षा कार्य, सीबर्ड परियोजना, कर्जत-लोणावळा सेक्शन में कर्टिंग और टनल के लिए कन्सल्टेंन्सी, रेल विद्युतीकरण परियोजना, सिग्नलिंग और ओएफसी केबल्स का प्रतिस्थापन, एन्.टी.पी.सी., गदरवारा, डी.इ.एम्.यु.-नेपाळ परियोजना (परिचालन एवं रखरखाव), अन्नाकाम्पोइल रोड टनल परियोजना, वी.आइ.एस्.एल्. पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजना, मैसूर-थलचेरी परियोजना का डी.पी.आर्., एम्.टी.पी.सी.-एस्.ए.आइ.एल्., रेलवे साइडिंग, राऊरकेला का डी.पी.आर्., यु.पी.सी.एल्. नन्दिकूर रेलवे साइडिंग कार्य, गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉटर परियोजना

वरिष्ठ क्षेत्रीय वित्त सलाहकार / रत्नागिरी

- लेखा विभाग का क्षेत्रीय प्रमुख।
- उन सभी क्षेत्रीय प्रस्तावों, जिनमें वित्तीय विविक्षा करनी है, पर वित्तीय सलाह देना।
- नियंत्रण गतिविधियों के लिए समय समय पर जानकारी बनाना।
- क्षेत्रीय प्रमुखों तथा विभागाध्यक्षों को वित्तीय स्थिति के बारे में नियमित रूप से अवगत कराना।
- श्रमिक कल्याण संबंधी मामलों तथा कर्मचारी शिकायत निवारण फोरम की बैठकों में भाग लेना।
- बिलों को पास करने तथा भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
- श्रेत्रों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की वेतन शीटों को पास करने की व्यवस्था करना।
- क्षेत्रों के फिल्ड तथा अन्य इकाइयों के निरीक्षण करना।
- सांविधिक, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों से लेखा की लेखा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

30-08-2024 को अद्यतन किया

वरिष्ठ क्षेत्रीय वित्त सलाहकार / कारवार

- लेखा विभाग का क्षेत्रीय प्रमुख।
- उन सभी क्षेत्रीय प्रस्तावों, जिनमें वित्तीय विविक्षा करनी है, पर वित्तीय सलाह देना।
- नियंत्रण गतिविधियों के लिए समय समय पर जानकारी बनाना।
- क्षेत्रीय प्रमुखों तथा विभागाध्यक्षों को वित्तीय स्थिति के बारे में नियमित रूप से अवगत कराना।
- श्रमिक कल्याण संबंधी मामलों तथा कर्मचारी शिकायत निवारण फोरम की बैठकों में भाग लेना।
- बिलों को पास करने तथा भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
- श्रेत्रों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की वेतन शीटों को पास करने की व्यवस्था करना।
- क्षेत्रों के फिल्ड तथा अन्य इकाइयों के निरीक्षण करना।
- सांविधिक, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों से लेखा की लेखा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करना।
- वित्तीय सदस्य के रूप में निविदा समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

परियोजना शाखा

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (यु.एस्.बी.आर्.एल्. परियोजना)

- यु.एस्.बी.आर्.एल्., परियोजना, लेखा विभाग का प्रमुख।
- ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना के प्रभारी के रूप में कार्य करना तथा इसका मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निष्पादन करना।
- वित्तीय प्रस्तावों तथा परियोजना शाखा के निविदा मामलों संबंधी कार्य करना।
- निधि नियोजन, निधि जुटाना तथा उसका अभियोजन करना।
- वित्तीय संस्थानों / क्षेत्रीय रेलों / रेलवे बोर्ड के साथ संपर्क तथा व्यवहार करना।
- मासिक लाभ एवं हानि लेखा, सीमित समीक्षा, वार्षिक लेखा आदि को अंतिम रूप देने तथा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समन्वय करना, स्टॉक सत्यापन करना, लेखा पैरोओं तथा निरीक्षण रिपोर्ट संबंधी कार्य करना।
- निविदा कार्य / निविदा समिति तथा तत्काल खरीद समितियों में सहभागिता करना।
- कार्य समापन रिपोर्टों / बैंक गारंटी / विविध अग्रिमों इत्यादि की समीक्षा करना।
- सामान्य बहियों का रख-रखाव तथा मासिक लेखा को बंद करना।
- प्रचलित प्रणाली के अंतर्गत बिलों के सत्यापन तथा उनको पास करने सहित सभी प्रकार के बिलों की आंतरिक जांच करना।
- सभी प्रकार का लेखा आपत्तियों के उत्तर देना।

वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार (रिआसी)

- परियोजना संबंधी सभी लेखा मामलों में वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की सहायता करना।
- संविदाकारों का भुगतान तथा अन्य छोटे-छोटे फुटकर व्यय के भुगतान को पास करने की व्यवस्था करना तथा उनके लेखा का रख-रखाव करना।
- जम्मू और कश्मीर में वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्ताव पर फिल्ड अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
- नियंत्रण गतिविधियों के लिए आवधिक प्रबंधकीय जानकारी उपलब्ध कराना।
- विभाग प्रमुखों को वित्तीय स्थिति के बारे में नियमित रूप से अवगत कराना।
- सांविधिक, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय के लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों से लेखा की लेखा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करना।
- निविदा समिति में वित्त सदस्य के रूप में भाग लेना।
- सभी प्रस्तावों, अनुमानों और निविदा दस्तावेजों की वित्तीय जांच और पुनरीक्षण करना।

30-08-2024 को अद्यतन किया